उत्तर प्रदेश में बच्चों पर कोविड-19 का प्रभाव

A. पृष्ठभूमि

कोविड-19 महामारी विश्व में अप्रत्याशित संकट और उससे निपटने की चुनौतियाँ लेकर आया। दुनिया भर में इस महामारी ने जीवन की गति धीमी कर दी। बच्चों के जीवन पर इस महामारी का बहुत प्रभाव रहा जिसके कारण उनके जीवन में सुरक्षा और शिक्षा के अधिकारों के लिए भारी चुनौती खड़ी हो गयी है। इसी संदर्भ में टाटा ट्रस्ट ने काउन्सिल फ़ॉर सोशल डेवलपमेंट (CSD) को जो अध्ययन का कार्य सौंपा, जिसके तहत झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बच्चों के जीवन और उनकी शिक्षा पर देश में जारी इस महामारी के असर का अध्ययन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों से एकत्र की गयी जानकारियों के आधार पर इस अध्ययन में ऐसे लघु और दीर्घकालिक समाधानों की रूपरेखा तैयार करने का सुझाव दिया गया है ताकि महामारी के बाद बच्चे पुन: पूर्ण आत्मविश्वास और सफलतापूर्वक स्कूल जाना प्रारम्भ कर सकें।

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक सर्वेक्षण बहराइच ज़िले के फकरपुर और रिसिया ब्लॉक और श्रावस्ती ज़िले के गिलौला ब्लॉक में वर्ष 2022 के जनवरी और फ़रवरी में किया गया। सर्वेक्षण कार्यक्रम, विशेष समूह चर्चा (एफजीडी), और खुले साक्षात्कारों के माध्यम से 300 अभिभावकों, 300 बच्चों, 30 शिक्षकों, 30 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, तीन स्कूलों और दूसरे हितधारकों जैसे सरकारी अधिकारियों, ग़ैर-सरकारी संगठनों (NGOs), स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) के सदस्यों और पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से सूचनाएँ एकत्र की गयीं। इस अध्ययन की मुख्य बिन्दुओं की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं।

B. मुख्य निष्कर्ष

I. परिवार और बच्चों पर महामारी का प्रभाव

- *सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:* अधिकांश माता-पिता यहाँ खेती करते हैं, जबकि कुछ छोटे-छोटे व्यवसाय- जैसे, आटा मिल, परचून की दुकान आदि चलाते हैं। यहाँ के कई अभिभावक काम की तलाश में पुणे, मुंबई आदि शहरों में प्रवास पर चले गए हैं जहां पर वे कारख़ानों, कपड़े की सिलाई आदि जैसे इकाइयों में काम करते हैं। लॉकडाउन के दौरान 10 में से 8 अभिभावक ने आजीविका में प्रतिकूल प्रभाव होने की बात बतायी और क़रीब 20 प्रतिशत परिवार बेरोज़गार हो गया। वर्ष 2022 के फ़रवरी-मार्च तक उनकी आर्थिक स्थिति में धीमा सुधार आया।
- *बच्चों पर प्रभाव:* परिवार में परिस्थितियों के विपरीत होने का असर बच्चों पर हुआ। जिन परिवारों ने महामारी में आजीविका छिन जाने की बात बतायी थी उनमें से प्रत्येक में कम से एक बच्चे के स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाने की खबर थी। लॉकडाउन के दौरान स्कूल जाने वाले बच्चे आय कमाने वाले कामों में (25 प्रतिशत), अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल में (45 प्रतिशत) और घरेलू कार्यों (78 प्रतिशत) में लगे थे। लगभग 20 प्रतिशत अभिभावकों ने बताया कि जब स्कूल बंद थे उस समय उनके बच्चे काम पर उनके साथ जाते थे और वे पशुओं की देखभाल, खेतों में पानी पटाने आदि कामों में हाथ बँटाते थे।
- *लिंग भेद:* लड़के और लड़कियाँ जिस तरह का काम कर रहे थे उसमें भेद स्पष्ट था। 10 प्रतिशत लड़कियों की तुलना में 38 प्रतिशत लड़के आय कमाने वाले कार्यों में लगे थे। लड़के आय बढ़ाने वाले कार्यों में लगे थे और लड़कियां सिर्फ घरों में काम करती थी।
- *बच्चों का स्वास्थ्य और पोषण* : फकरपुर के क़रीब 16 प्रतिशत और गिलौला और रिसिया के 14 प्रतिशत अभिभावकों ने बताया कि स्कूल बंद रहने के दौरान उनके बच्चे क्रमशः कम और ज़्यादा खा रहे हैं। हालाँकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (AWWs) ने बताया कि आंगनवाड़ी ने कम आयु के बच्चों को पोषक आहार उपलब्ध कराए, पर सिर्फ 2.5 प्रतिशत अभिभावक ने पोषक आहार मिलने की बात बतायी। स्कूलों ने भी सूखे राशन के रूप में बच्चों को मध्याह्न भोजन (MDM) उपलब्ध कराया और लगभग 57 प्रतिशत अभिभावक ने बताया कि उन्हें घर ले जाने वाले राशन (THR) नियमित रूप से प्राप्त हुआ।
- *बच्चों की भलाई* : 35 प्रतिशत अभिभावकों ने अपने बच्चों में चिंता और तनाव के स्तर में वृद्धि की बात स्वीकार की और लगभग 20 प्रतिशत ने कहा कि उनके बच्चों को पर्याप्त शारीरिक मेहनत का मौक़ा नहीं मिलता है। रिसिया में 37 प्रतिशत अभिभावकों के अनुसार बच्चों का सामाजिक संवाद कम हो गया है और 20 प्रतिशत अभिभावकों ने कहा कि उनके बच्चों को ठीक से नींद नहीं आती। बच्चों की स्थिति पर इस तरह के नकारात्मक प्रभाव के बावजूद 40 प्रतिशत से अधिक अभिभावकों ने यह स्वीकार किया कि स्कूल के बंद रहने के दौरान उनके बीच जुड़ाव अच्छा रहा और उन्होंने उनके साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताया।

II. बच्चों की शिक्षा पर महामारी का प्रभाव

1. स्कूल के बंद रहने के दौरान शिक्षा

- *स्कूल के बंद रहने का प्रभाव* : कोविड महामारी के कारण मार्च 2020 से सितंबर 2021 तक, क़रीब 18 महीने स्कूल बंद रहे, जिससे बच्चों की शिक्षा, अनुशासन और उनकी दिनचर्या बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। 50 प्रतिशत से अधिक अभिभावकों ने बताया कि स्कूल बंद रहने के कारण उनके बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई।
- *स्कूल के बुनियादी ढाँचे में व्यवधान*: लगभग 20 प्रतिशत अभिभावकों ने महामारी के बाद की अवधि में स्कूल के बुनियादी ढाँचे, जैसे- स्कूलों के शौचालयों में पानी न होना और स्कूल भवन और कक्षाओं का जर्जर अवस्था में होने पर चिंता जतायी।
- *शिक्षकों की कमी*: जिन सरकारी स्कूलों का सर्वेक्षण किया गया उनके प्रधान शिक्षक ने स्कूल में शिक्षकों की कमी की बात बतायी और कहा कि यह बड़ी समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए स्कूलों में अनुदेशकों (अनुबंध पर काम करनेवाले शिक्षकों) की नियुक्ति की गयी है।
- *स्कूल के बंद रहने के दौरान शिक्षकों की गतिविधियाँ* : रिसिया में लगभग 40 प्रतिशत शिक्षक कोविड-19 टीकाकरण अभियान में, गिलौला में 60 प्रतिशत शिक्षक राशन के वितरण कार्य में लगे थे और जब महामारी शीर्ष पर था, उस समय फकरपुर में 70 प्रतिशत शिक्षक शारीरिक दूरी का नियम बनाए रखने में अपना योगदान दिया। लगभग 50 प्रतिशत शिक्षकों ने बताया कि छात्रों के साथ शैक्षिक सामग्री साझा करने के लिए व्हाट्सऐप का प्रयोग किया और बच्चों के साथ गतिविधियों को यूट्यूब के माध्यम से साझा किया। अपने छात्रों का हाल जानने के लिए 23 प्रतिशत शिक्षक उनके घर पर गए। रिसिया में एक-तिहाई से भी कम शिक्षकों ने बताया कि स्कूल जब बंद रहने के दौरान पढ़ाना कतई संभव नहीं था।
- *शिक्षकों का क्षमता संवर्धन* : सर्वेक्षण में शामिल 90 प्रतिशत शिक्षकों ने बताया कि स्कूलों के बंद रहने के दौरान उन्हें कुछ प्रशिक्षण दिये गये, जैसे- डिजिटल उपकरणों को चलाना, कोविड-19 से निपटने के तरीक़े, महामारी के दौरान बच्चों से संपर्क बनाए रखना ताकि कोविड में स्कूल के बंद होने से उनके सीखने में जो अंतर आएगा उसको कम से कम किया जा सके।

2. स्कूल के बंद रहने के दौरान सिखाना

- *डिजिटल शिक्षा तक पहुँच के माध्यम से बच्चों को सिखाना*: सिर्फ लगभग 14 प्रतिशत बच्चों ने बताया कि डिजिटल शिक्षा उनको उपलब्ध है। इनमें से 50 प्रतिशत ने माना कि ऑनलाइन शिक्षा आमने-सामने की शिक्षा से बेहतर है। गिलौला में लगभग 60 प्रतिशत ने बताया कि दोनों ही तरह से पढ़ाने में कोई अंतर नहीं है जबकि 25 प्रतिशत ने बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई आमने-सामने की पढ़ाई से बदतर है। अभिभावकों ने स्मार्टफ़ोन का प्रयोग शायद ही कभी किया था और इस वजह से वे ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियों से निपटने में मदद नहीं कर सकते थे। इसके बावजूद, लगभग 11 प्रतिशत ने बताया कि उनके बच्चे मोबाइल पर ज़्यादा समय बिताते हैं और पांच प्रतिशत ने माना कि, उनके बच्चे मोबाइल पर गैर-जरुरी सामग्री देखते हैं। लगभग 40 प्रतिशत अभिभावकों ने फ़ोन और इंटरनेट पर ज़्यादा खर्च होने की शिकायत की जो उन्हें इसलिए ख़रीदना पड़ रहा है क्योंकि यह उनके बच्चों को पढ़ाई में मदद करेगा। शिक्षकों ने बताया कि उनके और छात्रों के पास किसी तरह का गैजेट नहीं होना डिजिटल शिक्षा के रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती थी। लगभग 30 प्रतिशत शिक्षकों ने स्वीकार किया कि ऑनलाइन क्लास चलाने के लिए उनके पास न तो डिजिटल उपकरण थे और न ही उनको चलाने का कौशल उनके पास था।
- *डिजिटल शिक्षा तक पहुंच न रखने वाले बच्चों की शिक्षा* : 90 प्रतिशत से अधिक बच्चों को डिजिटल शिक्षा सुलभ नहीं है। इन बच्चों के लिए, टीसीएल-टाटा ट्रस्ट ने मोहल्ला कक्षा का प्रबंध किया और सामुदायिक शिक्षा केंद्र की शुरूआत की। 25 प्रतिशत बच्चों ने बताया कि स्कूल बंद रहने के दौरान उन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की जबकि 65 प्रतिशत बच्चों ने प्रतिदिन दो घंटे से भी कम पढ़ाई करने की बात मानी। कुल मिलाकर सिर्फ 9 प्रतिशत बच्चों ने ही पढ़ाई पर ज़्यादा समय दिया।
- *शिक्षा पर कुल प्रभाव* : अभिभावकों ने इस बात पर अफ़सोस जताया कि महामारी के दौरान उनके बच्चे वह सब कुछ भूल गए जो उन्हें पहले स्कूल में पढ़ाया गया था। औसतन, लगभग 50 प्रतिशत अभिभावकों ने यह महसूस किया कि बच्चे साधारण वाक्य बनाना और गिनती करना भी भूल गए। क़रीब 45 प्रतिशत अभिभावकों ने बताया कि बच्चे अक्षर ज्ञान भी भूल गए। बच्चों को सिखाने के लिए विभिन्न तरह के ऑनलाइन और ऑफ़लाइन कदम उठाए जाने के बावजूद बच्चों की शिक्षा के स्तर के बारे में अभिभावकों की राय नकारात्मक थी क्योंकि ये पढ़ाई स्कूलों की परंपरागत पढ़ाई में बच्चों के अनुभवों के समकक्ष नहीं थी। क़रीब एक-चौथाई अभिभावकों, जिन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाख़िला दिलाया था, ने बताया कि उनके बच्चों की पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं बची है, और 40 प्रतिशत से अधिक बच्चों में सीखने की गति धीमी हो जाने से वे चिंतित थे। क़रीब 90 प्रतिशत बच्चों ने बताया कि जब स्कूल खुले थे उस समय उनका पढ़ाई का अनुभव बेहतर था क्योंकि तब उन्हें शिक्षकों और दोस्तों आदि की मदद मिलती थी।

III. कोविड-19 से निपटने के कदम : मुख्य हितधारकों का हस्तक्षेप

- *सरकार की डिजिटल पहल* : उत्तर प्रदेश में सरकारी अधिकारियों ने प्रेरणा ऐप, ई-पाठशाला और DIKSHA ऐप के व्यापक प्रयोग और पाठों और गतिविधियों के लिए QR कोड के प्रयोग की बात कही। शिक्षकों ने बताया कि शैक्षिक सामग्री बच्चों तक पहुँचाने के लिए उन्होंने व्हाट्सऐप और यूट्यूब लिंक का प्रयोग किया। हालाँकि, उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों को उनके घर तक शिक्षा पहुँचाने के लिए डिजिटल पहल को बढ़ावा दिया, पर ज़मीनी स्तर पर कहानी कुछ और है। गिलौला ब्लॉक में सिर्फ दो प्रतिशत और रिसिया में 23 प्रतिशत बच्चों ने बताया, कि उन्होंने शिक्षा के लिए डिजिटल उपकरण का प्रयोग किया। दूसरी ओर, 20-40 प्रतिशत ने स्मार्टफ़ोन और टेलिविज़न का प्रयोग मनोरंजन के लिए किया। उत्तर प्रदेश के सभी तीनों ब्लॉकों में शायद ही किसी अभिभावक ने टेलिविज़न और व्हाट्सऐप जैसे ऑनलाइन लर्निंग प्लैट्फ़ॉर्म का प्रयोग किया। बहराइच और श्रावस्ती दोनों ज़िलों में तो यह प्रतिशत 2-3 तक है।
- *सरकार की ऑफ़लाइन पहल* : बच्चों को उनके घर तक शिक्षा पहुँचाने के लिए शिक्षकों का छात्रों के घर जाना, मोहल्ला कक्षाओं का आयोजन, उनको वर्कशीट का वितरण आदि जैसे ऑफ़लाइन उपाय किए गए। फकरपुर में सिर्फ 22 प्रतिशत अभिभावकों ने अपने बच्चों के मोहल्ला क्लास में जाने की बात कही। फकरपुर में सिर्फ 19 प्रतिशत और रिसिया में सिर्फ 13 प्रतिशत अभिभावकों ने बताया कि शिक्षक बच्चों के घर आए थे। बच्चों को उनके घर तक शिक्षा पहुँचाने के लिए स्वयंसेवकों की भागीदारी नगण्य थी। इसकी तुलना में, दुबारा स्कूल खुलने पर कक्षाओं में नियमित रूप से पढ़ाई शुरू हुई, और भारी संख्या में बच्चे कक्षा में उपस्थित हुए। रिसिया में 76 प्रतिशत और फकरपुर में 68 प्रतिशत अभिभावकों ने इस बात की पुष्टि की।
- *गैर-सरकारी संगठनों की पहल* : टीसीएल-टाटा ट्रस्ट ने विभिन्न तरह के पहल किए जिनमें गाँव के सरकारी स्कूलों में इन्फ़र्मेशन एंड कम्यूनिकेशन टेक्नॉलॉजी (ICT) और सामुदायिक शिक्षा केंद्रों की शुरुआत की जिसके तहत बुनियादी पढ़ाई, लिखाई, गिनती और साक्षरता का प्रयास किया जाता था। आगा खान फ़ाउंडेशन (AKF) जैसे गैर-सरकारी संगठनों ने शिक्षकों की सिखाने के लिए तकनीकी मदद उपलब्ध करायी और स्थानीय स्वयंसेवकों की मदद से बच्चों की शिक्षा को मज़बूत करने के लिए केंद्र स्थापित किए गए। अहमद सेवा संस्थान ने सरकारी स्कूल के भवनों की मरम्मत और रख-रखाव का काम अपने हाथ में लिया, लड़कियों में सैनिटरी पैड्स बाँटे, स्कूल से बाहर हुए और विकलांग बच्चों की खोज-खबर ली और उनमें वर्कशीट बाँटे। क़रीब 25 प्रतिशत अभिभावकों ने कहा कि उन्हें गैर-सरकारी संगठनों से अध्ययन सामग्री प्राप्त हुई और सामुदायिक केंद्रों से सीखने को मिला। 20 प्रतिशत से कुछ अधिक अभिभावकों ने ग्रामीण स्तर पर गैर-सरकारी संगठनों द्वारा बच्चों में शिक्षा को बढ़ाने बात स्वीकार की, जबकि 15 प्रतिशत ने माना कि गैर-सरकारी संगठनों ने बच्चों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए।
- *शिक्षक पहल* : सर्वेक्षण में शामिल लगभग 36 प्रतिशत शिक्षकों ने बताया कि वे नियमित रूप से छात्रों के घर पर गए और उनसे फ़ोन पर संपर्क किया ताकि उन्हें स्कूल वापस लाया जा सके। क़रीब 20 प्रतिशत शिक्षक बच्चों को स्कूल वापस लाने के लिए व्हाट्सऐप के माध्यम से भी उनके संपर्क में थे। हालाँकि, 30 प्रतिशत शिक्षकों ने बताया कि स्कूल के बंद रहने के दौरान छात्रों से संपर्क करने की उन्होंने कोई कोशिश नहीं की।
- *अन्य हितधारकों की पहल* : पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने गाँवों और स्कूलों को सैनिटाइज करने, स्कूल भवनों, उनकी चारदीवारी आदि के रख-रखाव के कार्य में योगदान दिया। दो सालों से बंद रहने के कारण स्कूल जर्जर स्थिति में आ गए थे। दूसरी ओर, यह तथ्य सामने आया कि उत्तर प्रदेश में SMCs उतने सक्रिय नहीं थे और स्कूलों के विकास की गतिविधियों में उन्होंने शायद ही हिस्सा लिया।
- *आंगनबाडी केंद्रों के पुन: खुलने के बाद प्रदर्शित तत्परता* : आंगनवाड़ी केंद्र पुन: खुलने के बाद बच्चों के स्वागत करने के लिए कई कदम उठाए और उन्हें शिक्षा और उनकी हक़दारी दिलाने और उनकी सुरक्षा के कई उपाय किए ताकि बच्चे पढ़ाई में दुबारा दिलचस्पी लें। औसतन 80 प्रतिशत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने कहा कि उन्होंने बच्चों को स्कूल वापस लाने के प्रयास किए, 53 प्रतिशत ने बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया और 60 प्रतिशत से अधिक ने बच्चों में स्वच्छता और आंगनवाड़ी केंद्रों (AWCs) की साफ़-सफ़ाई पर ध्यान दिया। 60 प्रतिशत से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य और व्यवहार की निगरानी की और लगभग 55 प्रतिशत ने कहा कि छोटे बच्चों को पढ़ाई की ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने खेल-खेल में पढ़ाई के तरीक़े को अपनाया।
- *स्कूलों में हक़दारी*: सर्वेक्षण में शामिल सरकारी स्कूल में कोविड-19 महामारी से पहले बच्चों को पाठ्यपुस्तक, यूनिफ़ॉर्म, मध्यान्ह भोजन आदि का वितरित होते थे, पर कोविड महामारी में स्कूल बंद होने पर मध्यान्ह भोजन और पाठ्यपुस्तकों को छोड़कर सभी का वितरण अचानक रुक गया। स्कूलों के बंद रहने के दौरान बच्चों को मध्यान्ह भोजन सूखे राशन के रूप में दिया जाता था और पका हुआ खाना उन्हें स्कूलों के दुबारा खुलने के बाद ही फिर से दिया जाने लगा। बच्चों को स्कूल की पोशाक खरीदने के लिए उनके खाते में रू. 1,100 डाले गए। कोविड-पूर्व स्कूल में लड़कियों को सैनिटरी पैड्स का वितरण भी होता था, पर स्कूल के दुबारा खुलने पर इसका वितरण दुबारा शुरू नहीं हुआ।
- *स्कूल शिक्षकों की तत्परता* : स्कूलों के पुन: खुलने पर शिक्षकों ने बच्चों का दुबारा स्कूलों में स्वागत करने के लिए व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी कई सारे कदम उठाए। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चत करने के लिए 40 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों ने कहा कि वे स्कूल का नियमित सैनिटाइजेशन, मास्क का वितरण जैसे कार्य करते थे। रिसिया में क़रीब 30 प्रतिशत शिक्षकों ने कहा कि वे बच्चों में शारीरिक दूरी बनाए रखने का कार्य सुनिश्चित किया। फिर, शुरुआत में बच्चों को एक

दूसरे से दूरी बनाकर रहने के लिए उन्हें रोटेशन पर स्कूल आने को कहा गया। इसके अलावा, शिक्षक स्कूलों के रख-रखाव की गतिविधियों में भी शामिल थे और स्कूलों हाथ धोने और पेय जल आपूर्ति व्यवस्था की मरम्मत का कार्य पूरा किया।

C. सुझाव

I. नीति निर्माताओं के लिए

- *हाशिए पर मौजूद वर्ग को सामाजिक सुरक्षा* **:** नीति निर्माताओं को हाशिए पर मौजूद वर्गों को सामाजिक सहायता प्रदान करने और मनरेगा (MGNREGA) के माध्यम से उनके लिए अतिरिक्त रोज़गार पैदा करने के लिये जागरूकता बनाए जाने की ज़रूरत है, जिससे उन्हें ग़रीबी और ऋण जाल से मुक्त किया जा सके।
- *बच्चों की सुरक्षा***:** जहां भी आवश्यक हो, सरकार को लाभ पैकेज दिए जाने संबंधी मानदंड में ढील देना चाहिए, लड़कियों के लिए ज़्यादा आवासीय सुविधाएँ बढ़ानी चाहिए और बाल शोषण, बाल मज़दूरी, मानव तस्करी और बाल विवाह जैसी बातों को कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए।
- *बाल लाचारी पर वास्तविक-समय डाटा संग्रह करने के लिए निवेश* : महामारी के बाद ड्रॉप आउट और बाल शोषण, तस्करी, कम उम्र में शादी, बाल मज़दूरी आदि की घटनाएं बढ़ रही हैं। बच्चों की लाचारियों को दूर करने के लिए सरकार को चाहिए कि बच्चों को जिन मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा है उस पर सटीक डाटा इकट्ठा करने के लिए वह इस पर उचित निवेश करे ।
- *बच्चों को लेकर कोई हस्तक्षेप अधिकार आधारित, समावेशी और टिकाऊ होना चाहिए* : राज्य को यह ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कठिन परिस्थितियों में भी बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर कोई ख़तरा पैदा नहीं हो और इसका का उल्लंघन न हो।
- *शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन*: नीति निर्मातों को यह बताया जाना चाहिए कि शिक्षा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम और प्रावधानों को लागू करने के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध नहीं हैं।
- *सरकारी शिक्षा को मज़बूत बनाना*: सरकार को चाहिए कि वह सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मज़बूत बनाने को प्राथमिकता दे और इसके लिए उसे शिक्षकों की भर्ती बुनियादी सुविधाओं और शिक्षकों के प्रशिक्षण को और मज़बूत बनाना चाहिए।
- *ICT को एक टूल माना जाए न कि आमने-सामने की शिक्षा का स्थानापन्न*: प्रमाण के साथ इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में ICT आमने-सामने की शिक्षा का स्थानापन्न न बने बल्कि अंतर को पाटने के लिए पूरक टूल के रूप में इसका प्रयोग हो।
- *शिक्षा की व्यापक परिभाषा* : महामारी ने बच्चों के सीखने के स्तर में पैदा अंतर को उजागर किया है। सीखने की परिकल्पना को बच्चों के संपूर्ण विकास के साथ देखा जाना चाहिए। यद्यपि इस बारे में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना (NCF) और शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम में प्रयास हुआ, पर अभी तक इस बारे में संपूर्ण रूप से कोई कदम नहीं उठाया गया है और अब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में संशोधन की बात महसूस की जा रही है ताकि महामारी के दौरान जिन बातों का हमें पता चला है उसको देखते हुए सीखने के परिदृश्य को और व्यापक बनाया जा सके।

II.फ़ंडिंग एजेंसियों के लिए

- *बाल लाचारियों के अध्ययन के लिए फंड*: महामारी के बाद बच्चों के ड्रॉप आउट होने पर और बाल मज़दूरी, तस्करी, बाल शोषण, बाल विवाह आदि के बारे में भी पर्याप्त रियल टाइम डाटा उपलब्ध नहीं है। बच्चों की लाचारियों से संबंधित मुद्दों को दूर करने के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध कराए जाने की ज़रूरत है।
- *कोविड-19 के प्रभावों पर प्रभावकारी शोध और हस्तक्षेप के लिए वित्तीय मदद* : डोनर संगठन उस शोध और हस्तक्षेप कार्य के लिए धन दे सकते हैं जो कोविड-19 के कारण बच्चों की शिक्षा में पैदा हुई मुश्किलों के समाधान की कोशिश कर रहे हैं।

III. स्थानीय समुदाय के लिए

- *स्कूलों के सामुदायिक स्वामित्व की सोच को आगे बढ़ाना* : राजस्थान और कर्नाटक में पंचायतों, स्कूल प्रबंधन समितियों और समुदायों की सक्रिय सहभागिता की बात सामने आयी जबकि अन्य राज्यों में यह व्यवस्था टूटती नज़र आयी। एक राज्य के सफल मॉडल को दूसरे राज्यों में अमल में लाना चाहिए।
- *PRIs और SMCs का सक्रिय सहयोग*: पंचायतों और SMCs को स्कूलों को मज़बूत बनाने की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए और स्कूल के विकास में उनके सकारात्मक योगदान के लिए उनको उचित लाभ दिया जाना चाहिए।

IV. टाटा ट्रस्ट, फ़ील्ड स्टाफ़ और अन्य गैर-सरकारी संगठनों के लिए

नीति निर्धारकों के लिए जिन सुझावों पर जोर दिया गया है उनको लागू करने पर टाटा ट्रस्ट, फ़ील्ड स्टाफ़ और दूसरे गैर-सरकारी संगठन इनको लागू करने, इनके बारे में एडवोकेसी करने जैसे कार्यों और इनके लिए सामुदायिक संसाधन उपलब्ध कराने का कार्य कर सकते हैं। इस संबंध में उनकी गतिविधियों को लेकर जो विशेष सुझाव तैयार किए जा सकते हैं उन्हें टेबल-1 में दिया गया है :

टेबल : टाटा ट्रस्ट और दूसरे **NGOs** के लिए विशेष सुझाव				
	अमल (सेवा प्रावधान)/ जागरुकता पैदा करना	एडवोकेसी	क्षमता संवर्धन	शिक्षा में हस्तक्षेप पर नज़र रखनेवाले वॉचडॉग के रूप में
हाशिए पर मौजूद वर्गों के लिए अतिरिक्त सामाजिक मदद का प्रावधान	● मुश्किल समय में आपातकालीन किट्स, खाद्य पदार्थ, सूखे राशन आदि की आपूर्ति	● सामाजिक सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने की ज़रूरत को लेकर एडवोकेसी	● आशा (ASHA), आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, SHGs, समुदाय आदि का तत्काल मदद पहुँचाने के लिए क्षमता संवर्धन	● लाचारी झेल रहे लोगों की सामाजिक सुरक्षा पर सर्वेक्षण
बच्चों की लाचारी और उन्हें दूर करने के मुद्दे से संबंधित रियल टाइम डाटा कलेक्शन	● बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल श्रम, आदि पर गाँव/ब्लॉक/ज़िला /राज्य स्तर पर जहां भी संभव हो डाटा इकट्ठा करना ● लड़कियों और जिन बच्चों को विशेष मदद की ज़रूरत है उनकी शिक्षा के लिए जागरुकता पैदा करना और उनको सिखाने के लिए हस्तक्षेप करना	● बच्चों की लाचारी पर अद्यतन डाटा के अभाव के ख़िलाफ़ एडवोकेसी करना ● जिन बच्चों के मां या बाप में से किसी की कोविड के कारण मौत हो गयी है ऐसे बच्चों को कोविड राहत से बाहर रखने के ख़िलाफ़ एडवोकेसी करना	● प्रभावित बच्चों के लिए शिविर लगाना और उनकी काउंसेलिंग करना ताकि वे दुबारा स्कूल की मुख्यधारा में शामिल हो जाएं ● बच्चे पढ़ाई के साथ-साथ काम भी कर सकें इसके लिए उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देना और उनके लिए उपचारी कक्षा आयोजित करना	● अगर बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल मज़दूरी, शोषण आदि के बारे में पता चलता है तो इसके बारे में आवाज़ उठाना ● आवासीय स्कूलों, शिविरों, घरों, स्कूलों आदि जगहों पर अगर बच्चों के साथ बदसलूकी की घटना का पता चालता है तो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ● बच्चों को पेश आ रही लाचारियों की निगरानी और उनको रोकने के लिए स्वयंसेवकों और समुदाय संयोजकों की मदद लेना
शिक्षकों की भर्ती, प्रशिक्षण और बुनियादी ढाँचा तैयार करने जैसी बातों के लिए सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मज़बूत करना	● शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए प्रशिक्षण मोड्यूलों का पाठ्यक्रम तैयार करना ● महामारी के बाद स्कूल खुलने पर सरकारी स्कूलों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने में मदद करना ● सरकारी स्कूलों का बुनियादी ढाँचा तैयार करने में हस्तक्षेप के लिए संसाधन जुटाना	● शिक्षकों की भर्ती और शिक्षकों की गुणवत्ता को लेकर एडवोकेसी करना	● प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण ● शिक्षकों के प्रशिक्षण में पढ़ाने को लेकर बच्चों के जो भोगे हुए अनुभव रहे हैं उनको शामिल करना चाहिए ● निम्न मुद्दों पर शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना : कोविड के बाद बच्चों के साथ कैसे पेश आएँ, बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक मदद, सिखाने का स्तर ऊँचा करना, बाल विकास आदि ● भविष्य में पैदा होने वाले मुश्किल हालात/स्कूलों के बंद होने की स्थिति से निपटने के बारे में शिक्षकों की तैयारी को लेकर प्रशिक्षण	● शिक्षकों की कमी के बारे में आवश्यकता के आकलन का अध्ययन ● कोविड की चुनौतियों से निपटने के लिए फंड की कमी पर पॉलिसी ब्रीफ़
किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए एक टूल के रूप में ICT को मान्यता न कि उसे आमने-सामने की शिक्षा का स्थानापन्न बना दिया जाए	● ऐसी जगह जहां बच्चों को डिजिटल एक्सेस उपलब्ध नहीं है वहाँ पर उनकी सुविधा के लिए ICT में अंतर को पाटना ● आमने-सामने की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक अध्ययन गतिविधियों को जारी रखना	● डिजिटल शिक्षा के लाभ और हानि के बारे में पॉलिसी ब्रीफ़ के माध्यम से एडवोकेसी	● शिक्षा के लिए एक टूल के रूप में ICT के प्रयोग को लेकर शिक्षकों का क्षमता संवर्धन ● बच्चों में मोबाइल की लत से निपटने के लिए बच्चों के साथ काउंसेलिंग सत्र का आयोजन	● ICT के समझदारी भरे प्रयोग पर शिक्षा संबंधी हितधारकों के साथ बातचीत और विचार-विमर्श
बच्चों को शिक्षा के अधिकार सुनिश्चित किए जाएँ और इस बारे में समावेशी कदम उठाए जाएं	बचपन पूर्व शिक्षा ● महामारी के बाद स्कूल खुलने पर स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति नियमित हो और उन्हें स्कूल भेजने की ज़रूरत के बारे में अभिभावकों में ज़ारूकता पैदा	● उस समय एडवोकेसी करना जब बच्चों को (पोशाक आहार) भोजन और शिक्षा के अधिकार नहीं सुनिश्चित किए जा रहे हैं	● स्कूलों के दुबारा खुलने के चरण में बच्चों के साथ कैसे पेश आया जाए इस पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों का क्षमता संवर्धन	● आंगनवाड़ी केंद्रों के कार्य-कलापों की निगरानी

	करने का अभियान चलाना आगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषक आहार और सप्लिमेंट्स की आपूर्ति नियमित रूप से जारी रहे यह सुनिश्चित करना		● आंगनवाड़ी शिक्षकों को उनकी ज़रूरत को पूरा करने में हाथ बँटाना	
	स्कूली शिक्षा ● स्कूल दुबारा खुलने पर बच्चों को स्कूल भेजने की ज़रूरत और स्कूल में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के मुद्दे पर अभिभावकों के साथ जागरुकता अभियान चलाना ● स्कूलों में बच्चों को MDM/सूखा राशन की आपूर्ति सुनिश्चित करना ● आवासीय पॉकेट्स, प्रवासी परिवारों के बच्चों, स्कूलों के ड्रॉप आउट कर जानेवाले बच्चों आदि (जो सरकार की पहुँच के बाहर थे) जिन तक पहुँच बनाना मुश्किल है, के लिए शैक्षिक हस्तक्षेप ● उच्चतर माध्यमिक स्तर तक छात्रों के पहुँचने और इसे पूरा करने की दर पर नज़र रखना और ड्रॉप आउट करनेवाले या काम करनेवाले छात्रों के लिए योजना बनाना और उसे लागू करना ● बच्चों पर स्कूलों के बंद रहने के कारण हुए मानसिक असर को लेकर अभिभावकों के साथ मिलकर जागरुकता अभियान चलाना ● बच्चों के भोगे हुए अनुभवों को NGOs के हस्तक्षेप में शामिल किया जाना चाहिए – जैसे, काम करनेवाले बच्चों के लिए सीखने का अलग समय; जिन बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी ख़त्म हो गयी है उनके लिए सीखने की अलग रणनीति अपनाना; घर पर जिन बच्चों को हिंसा या ग़ुस्से का सामना करना पड़ता है उनके साथ बातचीत करना, संवाद का सत्र आयोजित करना।	● RTE नियमों और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फंड की कमी को लेकर एडवोकेसी करना ● जब बच्चों को MDM/सूखा राशन और शिक्षा सुनिश्चित नहीं किया जाता हो तब एडवोकेसी करना ●	● महामारी के बाद स्कूलों के दुबारा खुलने पर बच्चों के साथ कैसे पेश आया जाए इस मुद्दे पर शिक्षकों का क्षमता संवर्धन करना ● अगर शिक्षकों को मदद की ज़रूरत है तो उन्हें मदद पहुँचाना	● स्कूलों के कामकाज की निगरानी
सीखने की परिभाषा का विस्तार करना और सीखने के बारे में हस्तक्षेप की योजना बनाना और उसे लागू करना	● बच्चों की समग्र सिखाई पर शिक्षकों के लिए टूलकिट्स विकसित करना ● सिखाई संबंधी हस्तक्षेप ताकि ख़ासकर कक्षा तीन से पाँच तक के बच्चों में सिखाई के अंतर को दूर किया जा सके	● समग्र सिखाई के मुद्दे पर सांसदों, NGOs, अकादमिकों आदि से बातचीत और चर्चा करना	● बच्चों की समग्र सिखाई पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना	● पॉलिसी ब्रीफ़ और फ़ील्ड सर्वेक्षणों के माध्यम से सिखाई की संकीर्ण परिभाषा को उजागर करना

नोट: जो विशिष्ट सुझाव दिए गए हैं वे संकेतात्मक हैं। टाटा ट्रस्ट को जो विशेषज्ञता हासिल है उसके आधार पर ज़्यादा विशिष्ट गतिविधियों की योजना तैयार की जा सकती है।